# बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0 (COFFED)

## मतदान केन्द्र की स्थापना

COFFED में सदस्यों की संख्या 700 से अधिक पायी गई है।

सभी मतदाता मतदान में भाग ले सकें, इस हेतु विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त सघ COFFED का यह निर्णय है कि अधिकतम 750 मतदाताओं के लिए एक मतदान केन्द्र स्थापित किया जाय। जहाँ मतदाताओं की संख्या 700 से अधिक होती है, वहाँ सामान्यतया एक ही मतदान केन्द्र के सन्निकट या उसी भवन/परिसर में अतिरिक्त मतदान केन्द्र भी स्थापित किये जायेंगे। मतदान केन्द्रों की स्थापना के लिए COFFED के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है लेकिन निर्वाचन पदाधिकारी मतदान केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक, COFFED का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

मतदान केन्द्र COFFED के कार्यालय भवन तृतीय तल, मीन भवन में स्थापित किये जायेंगे। अगर संघ का कार्यालय किसी निजी भवन में चल रहा है, तो मतदान केन्द्र संघ मुख्यालय में कराया जाएगा।

**सहायक मतदान केन्द्रः**– सहायक मतदान केन्द्रों की स्थापना निम्न प्रकार की जा सकती हैः

| सदस्यता | मतदान केन्द्रों की संख्या |
|---|---|
| 750 तक | 01 |

**प्रत्येक मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या एवं मतदाता सूची का विभाजनः**–750 मतदाताओं तक की संख्या को 2 से विभाजित किया जायेगा, आधी संख्या मुख्य मतदान केन्द्र के साथ सम्बद्ध की जायेगी एवं शेष अतिरिक्त मतदान केन्द्र के साथ। उदाहरणस्वरूप अगर मतदाताओं की संख्या 850 है, तो मुख्य मतदान केन्द्र से 450 मतदाताओं को सम्बद्ध किया जायेगा तथा सहायक मतदान केन्द्र से शेष 400 मतदाताओं को। विभाजन के फलस्वरूप दशमलव स्थान आने पर, दशमलव को अनदेखा (ignore) किया जायेगा और प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि मतदान केन्द्रों के साथ मतदाताओं की बराबर–बराबर संख्या को सम्बद्ध करते हुए मतदाताओं की शेष संख्या को अंतिम सहायक मतदान केन्द्र से सम्बद्ध किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप, अगर किसी मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या 2202 है, तब यहाँ 4 मतदान केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या 2202/4 = 550.5 होगी। ऐसी स्थिति में प्रथम, द्वितीय, तृतीय मतदान केन्द्र पर प्रत्येक के साथ 550 मतदाता सम्बद्ध किये जायेंगे एवं चतुर्थ मतदान केन्द्र से शेष 552 मतदाता।

सहायक मतदान केन्द्र यथासंभव एक ही भवन में स्थापित किया जायेगा और ऐसा संभव नहीं होने पर एक ही परिसर में स्थापित किया जायेगा। प्राधिकार का उद्देश्य यही है कि यथासंभव निर्वाचन एक ही परिसर में संपन्न कराया जाय ताकि बलों के परिनियोजन (Deployment)/अन्य निर्वाचन व्यय में कमी की जा सके। अगर मतदान केन्द्र स्थापित करने के

लिय किसी अन्य भवन अथवा किसी बड़े भवन को लेना आवश्यक हो जाय, तब निजी भवनों में चल रहे संघ हेतु मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती हैं सहायक मतदान केन्द्र को आवंटित क्रम संख्या वही होगी जो मूल मतदान केन्द्र को आवंटित की गई है। मूल तथा सहायक मतदान केन्द को अलग–अलग दर्शाने हेतु आवंटित संख्या के साथ "क", "ख" आदि जोड़ा जा सकता है, यथा मतदान केन्द्र संख्या 4 (क), मतदान केन्द्र संख्या 4 (ख) आदि।

**मतदान केन्द्र की बनावटः–** मतदान केंद्र की स्थापना ऐसे हॉल/कमरे में की जायगी जिसकी बनावट आदि समुचित प्रकार की हो और हॉल/कमरे में पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो तथा भवन के अंदर आने–जाने के लिए अलग प्रवेश तथा निकास की व्यवस्था हो या आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जा सके। अर्थात् जिस हॉल/कमरे में मतदान केंद्र की स्थापना की जायेगी, उसमें जाने के लिए तथा वहां से निकलने के लिए अलग प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था पहले से है या उसका एकमात्र दरवाजा इस प्रकार है कि उसमें कृत्रिम तरीके से अलग–अलग प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हो सकती है। इस प्रकार एक ही हॉल के लिए पुरूष एवं महिला मतदाता होने की स्थिति में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पुरूष एवं महिला मतदाता अलग–अलग प्रवेश एवं निकास के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें या बारी–बारी से (BY turn) पुरूष और मलि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। मतदान केंद्र पर पेयजल तथा शौचालय की सुनिश्चित स्थायी अथवा अस्थायी व्यवस्था रहनी चाहिए ताकि सतदान कर्मियों एवं मतदाताओं, विशेषतः महिलाओं को कोई परेशानी नहीं हो। मतदान केंद्र तक सुरक्षा बलों/आरक्षी बलों को पहुँचने हेतु सुगम तथ उपलब्ध होना चाहिए ताकि विधि व्यवस्था की किसी भी स्थिति को त्वरित रूप से नियंत्रित किया जा सके। संकरे पथ में तथा भीड़–भाड़ वाली जगह में मतदान केंद्र स्थापित करने से यथासंभव बचना चाहिए।

मतदान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव भेजने से पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा स्वयं उसका भौतिक सत्यापन अवश्य कर लेना चाहिए कि भवन दुरूस्त स्थिति में है तथा वहां बुनियादी सुविधायें उपलब्ध हैं।

मतदान केंद्र किसी भी स्थिति में संबंधित संघ मुख्यालय से बाहर अन्य स्थान पर स्थापित नहीं किया जायेगा, न ही एक संघ का मतदान केंद्र किसी दूसरे संघ की क्षेत्रीय सीमा में स्थापित किया जायेगा। अगर किसी संघ का कार्यालय शहरी क्षेत्र में किसी निजी मकान में अवस्थित हो, तब मतदान केन्द्र की स्थापना उसी वार्ड में ऊपर उल्लिखित किसी सार्वजनिक प्रकृति के भवन में की जा सकती है। अगर उस वार्ड में वैसे भवन उपलब्ध नहीं है, तो समीपस्थ किसी दूसरे वार्ड में किसी सार्वजनिक भवन में मतदान केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए।

एक मतदान केंद्र के लिए सामान्यतः 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का स्थान होना चाहिए ताकि तमदाता का पंक्तिबद्ध होकर मतदान करने में कोई असुविधा न हो। जहाँ तक संभव हो, मतदान केन्द्र में प्रवेश एवं निकास के लिए अलग–अलग व्यवस्था की जानी चाहिए।

यद्यपि संघ का निर्वाचन दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, फिर भी यह सोचना कि राजनीतिक दल संघ के निर्वाचन में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं दिखलायेंगे, अव्यावहारिक होगा।

वस्तुतः ग्राम पंचायत के स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण होने के चलते संघ के निर्वाचन मे राजनीतिक दलों की गहरी रूचि हो सकती है, जो स्वयं समर्थित उम्मीदवारों को सहकारिता के अन्य ऊँचे पायदानों पर स्थापित देखना चाहेंगे। अतः मतदान केन्द्रों के चयन में निर्वाचन पदाधिकारी को बिल्कुल तटस्थ हो कर तथा पूरी पारदर्शिता के साथ प्राधिकार के निदेशों के अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए, तथा किसी भी व्यक्ति, संस्था या दल से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

उयर्युक्त तरीके से प्रत्येक मतदान केन्द्रों की सूची तैयार की जायेगी और इसे आम निरीक्षण के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय सूचना पट, संबंधित संघ के कार्यालय सूचना पट एक संबंधित संघ भवन के सूचना पट् या दीवार पर ऐसी जगह चिपकाया जायेगा जहाँ लोगों की नजर आसानी से पड़ सके। यह सूची 3 दिनों के लिए उपर्युक्त स्थानों में संघ सदस्यों के निरीक्षण के उपलब्ध रहेगी। इस अवधि में अगर कोई सुझाव या आपति प्राप्त हो, तो निर्वाचन पदाधिकारी उस पर समुचित विचार कर उचित निर्णय लेगा और आवश्यकतानुसार संशोधन करेगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची मतदान केंद्र की अंतिम सूची होगी, जिस पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0 स0) का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

प्राधिकार स्पष्ट करना चाहता है कि संघ क निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्र/केन्द्रों की स्थापना में किसी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी तथा किसी भी चूक के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0 स0) को उत्तरदायी ठहराया जायेगा। अतः प्राधिकार जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से अपेक्षा रखता है कि वे अपने स्तर पर पर्याप्त सतकर्ता

बरतें तथा निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रेषित मतदान केंद्रों की सूची के औचित्य को भली–भाँति परख कर ही इसका निर्धारण करें।

(प्राधिकार का पत्रांक 109 दिनांक 28 फरवरी, 2009

एवं पत्रांक 822 दिनांक 9 जुलाई, 2009)

किसी संघ की संरचना ऐसी होसी है कि उसके बीचों–बीच कोई नदी या पहाड़ी इत्यादि होती है, जिससे दूसरे छोर के मतदाताओं को मतदान करने में असुविधा होती है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निर्वाचन, 2019 के संदर्भ में संघ की भौगोलिक संरचना तथा नागरिक सुविधा को ध्यान मे रख कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0 स0) के अनुमोदन से एक से अधिक स्थलों पर मतदान केन्द्र बनाये जा सकते हैं।

विधि–व्यवस्था अथवा प्राकृतिक आपदा की असामन्य परिस्थितियों को छोड़कर अंतिम क्षणों में मतदान केन्द्र का परिवर्तन करने से बचा जायेगा, अर्थात् अत्यंत विशेष परिस्थिति में ही ऐसी कोई परिवर्तन पूर्ण औचित्य बतलाते हुए मतदातन की तिथि से सात दिन पूर्व तक ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0 स0) के विशेष आदेश से किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0 स0) द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि निर्वाचन पदाधिकारी एवं संबंधित समिति द्वारा परिवर्तित मतदान केन्द्र की सूचना मतदाताओं को विहित तरीके से मतदान की तिथि के पाँच दिन पूर्व तक उपलब्ध करा दी गयी है।

(प्राधिकार का पत्रांक 869 दिनांक 14 जून, 2019)

सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु संबंधित संघ से प्रति मतदान केन्द्र रू 5,000/– (पाँच हजार रूपये) की राशि लिये जोन का निर्णय प्रधिकार द्वारा लिया गया है। प्राधिकार द्वारा यह भी लिया गया है कि समितियों द्वारा उक्त राशि RTGS/NEFT के माध्यम से मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के पदनाम से चालू खाते में अंतरित की जाएगी।

(प्राधिकार का पत्रांक 812 दिनांक 06 जून, 2019 एवं

पत्रांक 838 दिनांक 11 जून, 2019)

**अन्य समितियों के निर्वाचन के संदर्भ में मतदान केन्द्रों/सहायक मतदान केन्द्रों की स्थापना आदि के संबंध में उन्हीं मानकों का उपयोग किया जायेगा, जो संघ निर्वाचन हेतु विहित किये गए हैं।**

ह0/–

सहायक निर्वाचन पदाधिकारी
बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0 (COFFED)